

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा/माध्य/अ-४/संकाय—विषय/परिवर्तन/2019-20

दिनांक : 28/8/2019

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा

बाड़मेर।

विषय: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनडी, पंचायत समिति सेडवा, जिला—बाड़मेर में भूगोल विषय यथावत रखने बाबत।

प्रसंग: राज्य सरकार का आदेश क्रमांक प. 4(3) शिक्षा—१/2015 पार्ट जयपुर दिनांक 03.07.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक स्वीकृति आदेश क्रमांक : प. 4(3) शिक्षा—१/2015 पार्ट जयपुर, दिनांक 03.07.2019 की पालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनडी, पंचायत समिति सेडवा, जिला—बाड़मेर में अर्थशास्त्र के स्थान पर भूगोल विषय परिवर्तित करने की स्वीकृति सत्र 2019-20 से जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 10344/19 मिस वर्षा व अन्य बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 17.07.2019 की पालना में राजमावि सोनडी, प.स.—सेडवा, जिला—बाड़मेर में भूगोल के स्थान पर पुनः अर्थशास्त्र विषय सत्र : 2019-20 से संचालित करने की स्वीकृति याचिका के अंतिम निर्णयाधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

(नित्तमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-१) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांखिकी), कार्यालय हाजा।
9. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, बाड़मेर।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, सेडवा, जिला—बाड़मेर।
12. प्रधानाचार्य, राजमावि, सोनडी, पंचायत समिति—सेडवा, जिला—बाड़मेर को निर्देशों की तत्काल पालना हेतु।
13. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विद्यालय में विषय परिवर्तन संबंधी प्रविष्टि तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर करते हुये अद्यतन करें।
14. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन: सी—१,२,३,४/संस्थापन—एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./बजट/योजना/सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
15. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ—१ को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर